राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

क्रमांक एफ 27(44) ग्रावि–5/PMAY-G/M.1/विविध/2017–18/ जयपुर, दिनांक 12 मई, 2017

जिला कलक्टर,
समस्त, राजस्थान।

विषय :– प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के अन्तर्गत लाभार्थियों के बैक खाते में हस्तांतरित किश्त के क्रम में।

प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के लाभार्थियों को देय अनुदान राशि का भुगतान DBT प्रणाली के माध्यम से पीएफएमएस से उनके बैंक खाते में सीधे हस्तांतरण किया जा रहा है। योजनान्तर्गत लाभार्थी को स्वीकृति वर्ष 2016–17 की प्रथम किश्त व द्वितीय किश्त हस्तांतरण कार्य प्रक्रियाधीन है। योजना कियान्वयन में लाभार्थियों के बैक खाते के सत्यापन व राशि हस्तांतरण में एवं हस्तांतरण उपरान्त लाभार्थियों द्वारा राशि आहरित करने में निम्नानुसार समस्याए आ रही है:–

1 प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के अन्तर्गत देय अनुदान की लाभार्थी के बैक खाते में हस्तांतरित राशि मे से बैको द्वारा लाभार्थियों के बकाया ऋण की राशि के पेटे अनुचित रूप से समायोजन किया जा रहा है। जिससे आवास निर्माण हेतु राशि अपर्याप्त/उपलब्ध नही होने से कार्य प्रारम्भ नही हो पा रहे हैं।
2 प्रधानमंत्री जनधन खातो की अधिकतम सीमा से अधिक राशि की योजनान्तर्गत देय किश्त राशि रू. 60,000/– सम्बंधित लाभार्थियों को DBT के माध्यम से हस्तांतरण के दौरान PFMS प्रणाली से Reject हो रही है।
3 योजना के कियान्वयन फ्रेमवर्क के बिन्दु संख्या 2.2(झ) अनुसार पात्र लाभार्थियों को रू 70,000/– तक का बैंकों से ऋण उपलब्ध कराने के प्रावधान के अनुसार ऋण स्वीकृत नही किया जा रहा है अपितु खाते में प्राप्त अनुदान राशि में से बकाया ऋण की वसूली की जा रही है जो अनाधिकृत है।

उल्लेखनीय है कि योजनान्तर्गत अधिकांश पात्र लाभार्थियों के स्वीकृति के दौरान आधार नम्बर भी लिये जाते है एवं इनमें से अधिकांश महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत जॉबकार्डधारी परिवार है, जिनकी आधार सिडिंग कार्य प्रक्रियाधीन है एवं इनके खातो में महात्मा गांधी नरेगा की राशि हस्तातंरित हो रही हैं।

अतः महात्मा गांधी नरेगा योजना के अन्तर्गत KYC हो चुके खातों के विवरण के आधार पर पंचायत समिति स्तर पर विकास अधिकारियो को सम्बंधित बैको के साथ कैम्प आयोजित कर प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के अन्तर्गत जन–धन योजना के खातो को आवाससाफ्ट पर उपलब्ध प्रावधान का उपयोग कर पुनः खाते फ्रिज कराने हेतु निर्देशित करावे।

इसके अतिरिक्त सभी बैको को अनाधिकृत रूप से प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के अनुदान की राशि को बैक ऋण के विरूद्ध जमा नही करने एवं इच्छुक लाभार्थियो को रू. 70,000/– तक ऋण स्वीकृत करने हेतु अपने स्तर से DLBC की बैठक आयोजित कर निर्देशित करावें।

12/5/2017

(सुदर्शन सेठी)
अति. मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रावि एवं पंरावि।
2. निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री महोदय, ग्रावि एवं पंरावि।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं परावि।
4. निजी सचिव, संयुक्त सचिव (ग्रा.आ.), ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रावि।
6. निदेशक (ग्रा.आ.), ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
7. वित्तीय सलाहकार, ग्राविवि।
8. अध्यक्ष एसएलबीसी, बैक ऑफं बडौदा राजस्थान जयपुर को भेजकर अनुरोध है कि अपने स्तर से आवश्यक निर्देश जारी कराने हेतु।
9. क्षेत्रीय प्रमुख राजस्थान स्टेट बैक आफ इण्डिया/पंजाब नेशनल बैक/ बैक ऑफ बडौदा/यूको बैंक/केनरा बैक/एक्सीस बैक/बैक ऑफ इण्डिया/सेन्ट्रल बैक ऑफ इण्डिया को भेजकर अनुरोध है कि उक्त सम्बधं में राजस्थान सभी बैक शाखाओ को आवश्यक निर्देश जारी करावें।

अधीक्षण अभियंता, ग्रावि